मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्रमांक 983 /मप्रविनिआ/2021 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (1) तथा 181 (1) की उपधारा (1) तथा धारा 181 की उपधारा (2) (फ) एवं (ब) सहपठित धारा 47 सहपठित भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में निम्न संशोधन करता है : अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2009 में द्वितीय संशोधन {एआरजी–17(I)(ii)वर्ष, 2021}

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :–

1.1 यह संशोधन **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2009 {एआरजी–17(I)(ii), वर्ष, 2021}"** कहलाएगा।

1.2 यह संशोधन संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होगा।

1.3 यह संशोधन मध्यप्रदेश के शासकीय "राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. विनियमों में संशोधन

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 में विनियम 1.25 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"1.25 प्रतिभूति निक्षेप की राशि स्थाई विच्छेदन या संविदा में कमी किये जाने पर या करार (अनुबन्ध) के समापन पर या नवीन सेवा संयोजन (न्यू सर्विस कनेक्शन) हेतु आवेदन को निरस्त किये जाने पर सात दिवस के भीतर, औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने पर समस्त बकाया राशियों के समायोजन पश्चात् लौटा दी जाएगी। सात दिवस से अधिक विलंब होने, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को प्रचलित बैंक दर से 1% अधिक दर पर ब्याज सात दिवस के विलंब हेतु देय होगा। अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि विलंब की राशि को मिलाकर प्रत्यर्पण अवधि 120 दिवस से अधिक न हो, जिसका उल्लंघन किये जाने पर आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।"

आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी, सचिव.